



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:-एफ-7(14) रालसा/संस्था/पी.एल.ए./सदस्य नियुक्ति/2025/8686

दिनांक: 21.08.2025

विज्ञप्ति

स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22 बी के तहत जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाएं:-

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंकारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

उपरोक्त जनउपयोगी सेवा (Public Utility Services) संबंधित प्रकरण जो एक करोड़ रुपये तक की मालियत के हो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) संस्थापित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में करौली में 02 पद, श्रीगंगानगर में 02 पद, डूंगरपुर में 01 पद, बालोतरा में 01 पद, झालावाड़ में 01 पद तथा जैसलमेर में 02 पद वर्तमान में रिक्त हैं एवं वर्ष 2025 (माह सितम्बर) में चित्तौड़गढ़ में 01 पद, जोधपुर महानगर में 01 पद रिक्त होने वाला है। इस प्रकार कुल रिक्त 11 पदों पर सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member /Other Person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या
04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो,

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,

3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक

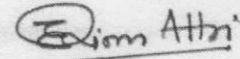
नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति का प्रतिवर्ष, वार्षिक

मुल्यांकन के आधार पर 05 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो,

तक बढ़ाया जा सकेगा।

Estt
21.08.25
Circulate it
to TLSCs (H1)
PLA:
Affix on notice
board & upload
it on District
Court website

4. स्थाई लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुरूप देय होंगी।
5. उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात् स्क्रीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जावेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टी. ए./डी.ए. देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्तिशः द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
9. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members/other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 12/9/25 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एक आवेदन पत्र के जरिये केवल एक ही स्थान के सदस्य/अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। **Last date is 12 Sep 2025 uptill 5:00 P.M.**

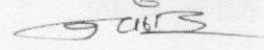

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:-एफ-7(14)/रालसा/संस्था-पी.एल.ए. सदस्य नियुक्ति/2025/8687-8702 दिनांक: 21.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/other person) के रिक्त पदों पर सदस्यों/अन्य व्यक्तियों (Members/other person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....

(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. शैक्षणिक योग्यता

5. गृह जिला

6. स्थायी निवास का पता

(टेलीफोन नम्बर).....

7. वर्तमान पता

(टेलीफोन नम्बर).....

8. मोबाईल नम्बर

9. ई-मेल एड्रेस

10. कार्यालय का पता

11. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक
(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी के लिए)
17. लोक उपयोगी सेवा से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण—

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

18. वकालत का अनुभव— (जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कम से कम 05 निर्णय की प्रति संलग्न करें)
19. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव.....

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

20. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण.....
21. वर्तमान वार्षिक आय.....
(अंतिम आय विवरणिका संलग्न करें)
22. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ/नहीं
23. यदि आवेदक के विरुद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारम्भिक जांच की गई हो या प्रस्तावित/लम्बित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें।
(सेवारत/सेवानिवृत्त के लिए)
24. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा जन उपयोगी सेवा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जावे।